फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

हनुमान प्रसाद बनाम उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर वगै0

केस संख्या ....11...... / 2025 प्रा0 पत्र मुन्तकिल

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10.03.2025	दरख्वास्तगुजार ने स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बउनवानी पूरणमल बनाम जगदीश वगै0 प्रकरण संख्या 1 / 176 / 2024 मय स्थगन प्रार्थना पत्र को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण / प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर से बिन्दुवार टिप्पणी हेतु तहरीर जारी हो। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी की तलबी हेतु रजि0 नोटिस तलवान पेश करे, जारी हो। पत्रावली दिनांक 01.04.2025 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
01/5/25	पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन दिया है। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 08/05/25 को पेश हो। रीडर	
08/5/25	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 02 लगा [?] 05 एवं 07, 08 की ओर से वकील श्री रणवीर सिंह यादव ने वकालतनामा पेश किया। श्रा-मि० रहे। वकील अप्रार्थीगण ने जाहिर किया कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी का स्थानान्तरण होने से व नये पीठासीन अधिकारी के द्वारा कार्यग्रहण करने से यह प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने से पेश किया है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी नारायणपुर का स्थानान्तरण होने से व नये पीठासीन अधिकारी के कार्यग्रहण करने पर प्रा0पत्र सारहीन / प्रभावहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	